Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding provision of salary, allowances and other facilities to wardens of civil defence service.-Laid

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (**मेरठ**): नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों द्वारा देश की आतंरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था में समय-समय पर सहयोग किया जाता है लेकिन इसके एवज में इन्हें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण भत्ता, ड्यूटी भत्ता, वेतन अथवा मानदेय प्रदान नहीं किया जाता है । देश के अनेक राज्यों में नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों को भत्ता, वेतन व मानदेय सहित पुलिस जैसी वर्दी तथा स्थानीय स्तर पर होमगार्डस् की तरह पुलिस थानों में कमरा भी दिया जाता है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों को अन्य राज्यों की तरह प्रशिक्षण भत्ता, ड्यूटी भत्ता, वेतन अथवा मानदेय सहित प्रत्येक पुलिस थाने में एक कमरा भी दिलाया जाये ताकि स्थानीय स्तर पर पुलिस के साथ इनका बेहतर समन्वय स्थापित हो सके ।